NORTH CENTRAL RAILWAY,

Railway Recruitment Cell

Balmiki chauraha, Nawab Yousuf Road, Allahabad

Notification for Recruitment against Cultural Quota 2022-23 (Open Advertisement)

Employment Notice No. CQR-2022-23 Dated 09.12.2022

Opening Date: 10/12/2022 **Closing Date: 01/01/2023 up to 23.59 HRS.**

1-0 Online applications are invited till 23.59 Hrs of closing date from willing candidates having minimum educational and cultural qualification as given in Para 2 below, for recruitment in **Pay Matrix Level – 2/3 (Grade Pay Rs. 1900/2000)** against Cultural Quota 2022 – 23 on North Central Railway in the following streams:

SN	Stream	Pay Matrix Level of 7th CPC	No of post
1	Dancer(Female)	Level-2/3 (Grade Pay-Rs.1900/2000)	02

- The above quota is open to all candidates provided that they are fulfilling the prescribed norms.

2-0 Qualifications:-

2-1 Essential:

2-1.1 Educational Qualification:

- The candidate should have minimum qualification of Intermediate or equivalent examination passed with 50% aggregate from any recognized Board/University. The condition of 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST/Ex. Servicemen and the candidates possessing higher qualification i.e. Graduation/ Post Graduation etc. from a recognized University. (Authority: RBE No.145/2014 dated 17.12.2014 & RBE No.82/1995 dated 01.08.1995)
- **For Technical Posts** -Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship.

2-1.2 Possession of degree/diploma certificate in specified cultural stream from government recognized institution for which notification is issued.

2-2 Desirable:

2-2.1 Experience in the field and performances given on AIR/Doordarshan etc.

2-2.2 Prizes won at national level.

3-0 Age:-The candidate should be aged between 18 to 30 as on 01.01.2023 (i.e. he/she must have been born not earlier than 02.01.1993 and not later than 01.01.2005)

3-1 Relaxation of Age: The upper age limit as mentioned in Para 3 above is relaxable as under subject to submission of requisite certificate.

Category	Relaxation of Age
SC/ST	05 Years
OBC	03 Years
Physically Handicapped	10 Years Provided the post is identified as suitable for PWDs
Serving employees	For the serving Railway staff and casual labours/substitutes, the relaxation in upper age limits will be upto 40 years for Unreserved candidates, 43 years for OBC candidates and 45 years for SC/ST candidates, provided that they have put in a minimum of 3 years service. For those working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes, the relaxation in upper age limits will be up to the length of service rendered subject to maximum 5 years.
Widows/ Divorced judicially separated women	Widows/Divorced/ judicially separated women who are not remarried, up to the age of 35 years for Unreserved, 38 years for OBC and 40 years for SC/ST candidates. (In this regard Hon'ble court order is necessary).
J&K - persons	J&K - persons who had ordinarily domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period from 1st January 1980 to 31st December 1989 up to 5 years.

3.2 Age relaxation to the candidates who have Course Completed Act Apprentices

Categories	UR	OBC-Non Creamy Layer	SC/ST
Course Completed Act Apprentices applying for the posts for which minimum qualification is ITI/Course Completed Act Apprenticeship.	33 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)	36 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)	38 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)
Candidates who are Course Completed Act Apprentices under Apprenticeship Act before attaining the age of 25 years.	35 years	38 years	40 years

4-0 Mode of Selection:- The Selection of the eligible candidates should be assessed on the following method:

(A) **Written Test** (The written test will consist of objective type question) : 50 Marks

(B) Assessment of talent in the relevant field on the basis of

4-1.1 Practical demonstration. : 35 Marks

4-1.2 Testimonials/Prizes etc. : 15 Marks

Total: 100 Marks

Note**: The written test will have negative marking and 1/3rd of marks allotted for the Objective Type questions will be deducted for every wrong answer. Written test shall be of duration of 60 minutes.**

5-0 Conditions for recruitment:

5-1 Before applying candidate should ensure that he/she fulfill the minimum eligibility norms.

5-2 Before posting against any working post the candidate should have to pass the requisite medical examinations prescribed for the post conducted by the Railway administration.

5-3 For posts where there is initial training prescribed, candidates has to qualify the training before posting.

5-4 Selected candidates, if posted as Clerk cum Typist have to acquire typing skill within a period of 2 years from the date of appointment at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on Typewriter and if typewriting skills are tested on Personal Computers (PCs), then 40 words per minute in English or 35 words per minute in Hindi. If they do not acquire the requisite typing skill within two years, no additional time will be given and services of such candidates will summarily terminated.

5-5 A caste certificate on the prescribed format for recruitment in Central Government services issued by the competent authority in the case of OBC/SC/ST should be uploaded for the purpose of taking relaxation as admissible.

5-6 Selected candidates will be utilized by the administration for arranging activities/events etc. whenever need arises and they will also continue to perform the duties of the posts on which they shall be posted.

5-7 The Selected Candidates can be posted anywhere & on any posts as per administrative requirements.

6-0 Serving candidates:

Serving Railway staff and those working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes shall have to upload No Objection Certificate (NOC) issued by their employer.

7-0 EXAMINATION FEE:

7-1 For all candidates except those mentioned in Para 7.2 below Rs. 500/- (Rupee Five Hundred Only) with a provision for refunding Rs. 400/- to those who actually appear in the written examination.

7-2 For candidates belonging to SC/ST/Ex- Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs), Women, Minorities and Economic Backward Classes Rs. 250 ((Rupee Two Hundred Fifty Only) with a provision for refunding the same to those who actually appear in the written examination.

7-3 Economically Backward Classes candidates means those whose annual family income is less than Rs. 50,000/-. They have to upload EBC certificate on prescribed format as per Annexure-C.

7-4 The examination fee is non-refundable (except those mentioned in Para 9.2). It should be paid ONLINE using internet banking or debit/credit cards (service charges apply for all which will be borne by the candidates). Applications not accompanied with examination fee, wherever required, will be summarily rejected.

8-0 HOW TO APPLY:

8-1 Candidates can apply through ONLINE mode by visiting the website of http://www.rrcpryj.org. Before applying, candidates are advised to go through the instructions available on the website. The onus is on the candidate to prove that all the information provided/ submitted by him/her in the application is true.

8-2 Candidates are required to go to the link provided for filling ONLINE application and fill up the personal details/BIO-DATA, fee paid etc. carefully.

NOTE-I: Candidates should ensure that their Name, Father's Name, Date of Birth should exactly match as recorded in Matriculation or equivalent certificate. Any deviation found during Document Verification will lead to cancellation of candidature and also to debarment. In case any candidate has formally changed the name, then gazette notification or any other legal document, as applicable should be submitted at the time of Document Verification. Such candidates should indicate their changed name. However other details should match with the matriculation certificate.

NOTE-II: Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid e-mail ID in the ONLINE application and keep them active during the entire recruitment process as important messages will be sent by email and on mobile which will be deemed to have been read by the candidates.

8-3 The examination fee of Rs. 500 for each category (For candidates mentioned in Para 7.2 Rs. 250) should be paid ONLINE using internet banking or debit/credit cards (service charges apply for all which will be borne by the candidates). After making payment of fee relevant details are required to be filled in the prescribed column of the ONLINE application.

8-4 Candidates are required to upload their scanned color photograph of size 3.5cm x 3.5cm (Black & White photograph is prohibited) in JPEG format and 20 Kb to 30 Kb at appropriate place of website.

8-5 Candidates are required to upload their scanned Signature (in English or in Hindi) in JPEG format and 10 Kb to 15 Kb at appropriate place of website.

NOTE: - Photographs: The color photograph of size 3.5 cm X 3.5 cm in JPEG format and 20 Kb to 30 Kb (not earlier than three months from the date of notification), with clear front view of the candidate without cap and sunglasses, should be uploaded. Candidates may note that their candidature may be cancelled at any stage in case of uploading old/unclear photograph or Signature in Capital Latter or variations between photograph uploaded and the actual physical appearance of the candidate. Candidates are advised to keep two additional copies of the same photograph ready with them for bringing along with e-Admit Card and valid Photo ID at the time of examination.

8-6 During submission of ONLINE application, a Registration Number will be issued to each applicant. Candidates are advised to preserve/note their Registration Number for further stages of recruitment process / correspondence with RRC concerned.

NOTE-I: - Applications which are illegible, Mandatory columns not filled, incomplete, unsigned, signed in capital letters, without photo of candidate, not having requisite fee (if applicable) are liable to be rejected.

NOTE-II: - In case the application is rejected, candidates will be able to view their status ONLINE on the website of RRC concerned along with the reasons for rejection(s). SMS and e-mail alerts shall also be sent to the candidates on their registered mobile number and e-mail ID, as indicated in their ONLINE application. Candidates whose application/candidature is rejected will NOT be intimated by post.

NOTE-III: - To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to submit ONLINE application much before the closing date since there may be a possibility of inability/failure to log on to the website of RRC concerned on account of heavy load on the internet or website jam during last days.

NOTE-IV: -Railway Recruitment Cell does not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their application within the last day on account of aforesaid reasons or any other reason.

NOTE-V: The candidates should be in readiness to appear for the written examination at short notice. Information in this regard will be sent by email and on mobile which will be deemed to have been read by the candidates.

8-7 ENCLOSURES TO BE UPLOADED ALONG WITH APPLICATION FORM:

8-7.1 Certificate in support of age proof.

8-7.2 Certificate of Educational qualifications as mentioned in para 2.1.1 above.

8-7.3 Certificate of Cultural qualification as mentioned in para 2.1.2 above.

8-7.4 SC/ST Cast Certificates issued by the competent authority as per Annexure - A. For availing relaxation as admissible and free traveling facility (Second Class Railway Pass) for attending written examination/document verification. At the time of obtaining reservation and traveling, the Reservation Clerk and/or Ticket Checking Staff will ask for the original SC/ST certificate for verification of genuineness of the candidate.

8-7.5 For taking relaxation as admissible candidate belonging to Ex- Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs)/Minorities/ Economic Backward Classes should have to upload respective certificate issued by the competent authority.

8-7.6 Copy of No Objection Certificate (NOC) issued by their employer in case of serving employee.

NOTE: - No print-out/hard copy of application complete in all respect and/or SC/ST certificate needs to be sent to the office.

9-0 INVALID APPLICATIONS/REJECTIONS:

Candidates are requested to read all instructions thoroughly before submitting ONLINE application. Otherwise their applications are likely to be rejected on one or more of the following reasons. In case the application is rejected, candidates will be able to view their status ONLINE on the website of RRC along with the reasons for rejection(s). SMS and e-mail alerts shall also be sent to the candidates on their registered mobile numbers and e-mail IDs, if indicated in their ONLINE application. Candidates will not be intimated by post regarding the reason(s) of rejection.

9-1 Application without signature or signature in capital or spaced out letters.

9-2 Application without Color photo (or) photo with cap, wearing Goggles, disfigured, small size or unrecognizable or Photostat copy.

9-3 Not possessing the prescribed Educational qualification for the post(s) on the date of submission of application.

9-4 Not possessing the prescribed Cultural qualification for the post(s) on the date of submission of application.

9-5 Over-aged or under-aged or Date of Birth not filled or wrongly filled.

9-6 Candidate's name figuring in the debarred list.

9-7 Application without examination fee.

9-8 In the event of any dispute about interpretation, the English version will be treated as final.

9-9 Any legal matter arising out of this employment notice shall fall within the legal jurisdiction of Allahabad only.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. **CANDIDATES TO ENSURE THEIR ELIGIBILITY BEFORE APPLYING:** The candidates should ensure that they fulfill all eligibility conditions prescribed for the post/examination. Admission of the candidates for the written examination(s) for the posts notified in this notification would be on the basis of the information furnished by them in the ONLINE application. If at any stage of recruitment or thereafter, it is found that any information furnished by the candidate in his application is false /incorrect or the candidate has suppressed any relevant information or the candidate otherwise does not satisfy the eligibility criteria for the post(s), his/her candidature will be cancelled forthwith.

2. EXAMINATION FEE :

a. Rs. 500/- (Rupee Five Hundred Only) for all candidates except those mentioned in Para 7.2 above

b. Rs. 250 ((Rupee Two Hundred Fifty Only) for candidates belonging to SC/ST/Ex-Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs), Women, Minorities and Economic Backward Classes whose family income is less than Rs. 50000 per annum, with a provision for refunding the same to those who actually appear in the written examination.

3. HOW TO APPLY: Candidates are required to apply ONLINE for a particular post/Category on the website of Railway Recruitment Cell, Allahabad (http://www.rrcpryj.org. Detailed instructions for filling up ONLINE applications are available on the website of RRC Allahabad. Brief Instructions to fill up the same are given in Para Nos. 8 and 9 of this notification.

4. APPLICATIONS: The ONLINE application, complete in all respect, can be submitted till 23.59 Hrs. of last date. No physical copy of application is required to be sent to RRC.

Candidates are required to apply only through ONLINE mode. No other mode for submission of application is allowed.

Steps to submit ONLINE Application

01. Visit the website of the RRC to which the candidate wants to apply.
02. Click on the "ONLINE FORM" Link.
03. Click on the "New Registration" link.
04. Fill in the basic details viz. Name, Father's name, Date of Birth, e-mail Address and Mobile number etc.
05. Follow the instructions and complete the registration process step-by-step for getting a Registration Number & Password.
06. Login using the Registration Number and Password. Select the post.
07. Fill up other details such as educational qualification etc. Depending upon the educational qualification of the candidate.
08. Pay examination fee (as applicable) online using Credit/Debit Card or Internet Banking.
09. Candidates are required to upload their scanned color photograph (size 3.5cm x 3.5cm) in JPEG format 20 Kb to 30 Kb at appropriate placed of website.
10. Candidates are required to upload their Signature (in English or in Hindi) in JPEG format 10 Kb to 15 Kb at appropriate placed of website.
11. Login with Registration Number and Password in the link for "UPLOAD" and thereafter, upload the file/scanned filled.
12. The Certificate in support of Age proof should be uploaded. The size of the file should be between 50 Kb and 150 Kb (150 DPI).
13. Certificate of Cultural qualification should be uploaded. The size of the file should be between 50 Kb and 150 Kb (150 DPI).
14. Candidates belonging to SC/ST who want to avail the facility of free travel authority (second class Railway Pass) have to upload their SC/ST certificates in the PDF format. The Size of the file should be between 50 Kb and 150 Kb.
16. Submit the application. Print out the acknowledgement for records.
17. Even after final submission if a candidate wishes to make any modifications, he/she can do before closing date or three days after final submitting which is earlier.
19. To modify application already submitted ONLINE, go to the "ONLINE FORM" link on the website.
19. Click on the 'Modify Application' link.

Annexure 'A'

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

1. Form of Certificate to be produced by a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of Claim

This is to certify that Shri/Smt/Kum* …………... Son/Daughter* of ………... of village /town* …………District/Division* …………………… of state/Union Territory* …………. belongs to the ……. Caste/Tribe * which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under.

The Constitution (Scheduled Caste/Scheduled Tribes) order , 1950
The Constitution (Scheduled Caste/Tribe) (Union Territories) order , 1951 (as amended by the Schedule Caste and Scheduled Tribes Lists Modification) Order 1956 the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Reorganization Act 1971 and the Scheduled Tribes Order (Amendment Act, 1976.
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste order , 1956
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order , 1956
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order , 1962
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order , 1962
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order , 1962
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order , 1964
The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order , 1967
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order , 1968
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order , 1968
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order , 1970
The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste order , 1978
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order , 1978
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989
The Constitution (Scheduled Cast) order (Amendment) Act. 1990
The Constitution (Scheduled Cast) order (Amendment) Act. 1991
The Constitution (Scheduled Cast) order (2nd Amendment) Act. 1991
The Constitution (Scheduled Tribes) order (Amendment) Act. 1996

Date :……………... District Magistrate / Dy. Commissioner etc.
Seal
Note : The term* ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/Kum*.................father/Mother of Shri/Smt./Kum...............In District/Division*.................. of State/Union Territory.........who belongs to the............caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in State/Union Territory*...................issued by the..........(name of prescribed authority) vide their No............dated.........
3. Shri/Smt/Kum*..................and of his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*..............of................District/Division* of State/Union Territory of.............place ....State/Union Territory Signature..............Date ....Designation (with seal of office)............................(*) Please delete the words which are not applicable Please quote specific presidential offer (*). Delete the Paragraph which is not applicable. Note: The term* Ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
Date:
Seal

District Magistrate/
Dy. Commissioner etc.

Annexure 'B'

Form of Certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to post under Government of India

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ……………………………………. Son/Daughter of ……………………………………………………………. of village/town ………………………………………………….… in District/Division …………………………………………………. in the State/Union Territory ……………………………….… belongs to the ………………………………………... community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. …………………………………………………………. Dated*………………………………

Shri/Smt./Kumari ………………………………………………. And or his/her family ordinarily reside(s) in the ………………………………………………. District/Division of the …………………………………………. State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

Date: District Magistrate/
Dy. Commissioner etc.

Seal

****

***-** The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**. As amended from time to time

Note: The term* Ordinarily * used here will have the same meaning as in Section 20 of the

Representation of the Peoples Act, 1950.

Annexure 'C'

'FORMAT OF INCOME CERTIFICATE TO BE ISSUED ONLETTER HEAD AS PER PARA 3 OF THE LETTER NO. E(RRB)/2009/25/21 dated 28.10.2009

Income certificate for waiver of examination fees for examinations for Economically Backward Classes

1. Name of candidate :
2. Father's name :
3. Age :
4. Residential Address :
5. Annual Family Income :
 (in words & figures)
6. Date of issue :
7. Signature : ____________________ (Name of issuing authority)

Stamp of issuing authority :

Annexure 'D'

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL

(i)Certificate No. .... **Date : ....**

DISABILITY CERTIFICATE

This is to certified that Shri/Smt./Kum. .... Son/Wife/Daughter of Shri .... age .... Sex.............. identification marks(s) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotors or cerebral palsy :

(i)BL-Both legs affected but not arms

(ii)BA-Both arms affected	(a)Impaired reach (b)Weakness of grip
(iii)OL-One leg affected (Right or Left)	(a)Impaired reach (b)Weakness of grip (c)Ataxic
(iv)OA-One arm affected	(a)Impaired reach (b)Weakness of grip (c)Ataxic

(v)BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)

(vi)MW-Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or low vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment :

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

(ii) This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve, Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of ....Years............. Months*.

(iii) Percentage of disability in his/her case is .... Percent.

(iv) Shri/Smt./Kum. .... Meets that following physical requirement for discharged of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No
(xi)	RW-can perform work by reading and writing	Yes/No

(Dr. ....) Member	(Dr. ....) Member	(Dr. ....) Member

Countersigned by the Medical superintendent/
CMO/Head of Hospital (With Seal)

उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

नवाब यूसुफ रोड, बाल्मीकी चौराहा, इलाहाबाद

सांस्कृतिक कोटा 2022–23 के अंतर्गत खुली भर्ती हेतु अधिसूचना

रोजगार सूचना सं. CQR-2022-23 दिनांक : 09/12/2022

जारी करने की तिथिः 10/12/2022 **अंतिम तिथिः** 01/01/2023 23.59 बजे तक।

1 उत्तर मध्य रेलवे में सांस्कृतिक कोटा वर्ष 2022–23 में खुली भर्ती के तहत 7वे सीपीसी के पे मैट्रिक्स लेबल –2/**3 (ग्रेड पे** रू. **1900/2000**) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक और सांस्कृतिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये गये **विधाओं हेतु** ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क.सं.	**विद्या**	7वे सीपीसी के पे मैट्रिक्स लेबल	**पदों की संख्या**
1.	नर्तक(महिला)	पे मैट्रिक्स लेबल – 2/**3** (ग्रेड पे रू.1900/**2000**)	02

- उपरोक्त कोटा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु हैं बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता रखते हो।

2 **योग्यता :**

2.1 **आवश्यकः**

2-1.1 शैक्षिक योग्यताः

- अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष की शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 50% अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिये । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च योग्यता यानि स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि रखने वाले अभ्यर्थियों पर इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष की शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंक की शर्त लागू नहीं होगी (प्राधिकरण आरबीई संख्या 145/2014 दिनांक 17.12.14 तथा आरबीई संख्या 82/1995 दिनांक 01.08.1995)
- **टेक्नीकल पदों हेतु–** हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा **मान्यता प्राप्त संस्थान से** आई.टी.आई उत्तीर्ण किया हो या हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूर्ण किया हो ।

2-1.2 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित **सांस्कृतिक** क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

2.2 वांछनीयः

2-2.1 संबंधित क्षेत्र में ऑल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन आदि में दिये प्रस्तुतीकरण का अनुभव ।

2-2.2 राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार ।

3 **आयुः** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार कि जन्म 02-01-1993 से पहले और 01-01-2005 के बाद का नही होना चाहिए।

3.1 आयु सीमा में छूट :– उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

श्रेणी	आयु में छूट की अवधि
अनु.जाति/जन जाति	05 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
शारीरिक रूप से विकलांग	10 वर्ष बशर्ते जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी हो वह पद शारीरिक रूप से विकलांगो के लिए उपयुक्त हो।
सेवारत कर्मचारी	क) सेवारत रेलवे कर्मचारियों और आकस्मिक मजदूरों को ऊपरी आयु सीमा में निम्नवत छूट दी जायेगी बशर्ते कि वे 03 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अनारक्षित उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक, अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 43 वर्ष तक एवं अ.जाति/अ.ज.जाति उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक। ख) इसी प्रकार रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर (अधिकतम 05 वर्ष) छूट प्रदान की जायेगी।
विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं	विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्हों ने पुनः विवाह न किया हो को 35 वर्ष - सामान्य वर्ग, 40 वर्ष - अ.जा/अ.ज.जाति एवं 38 वर्ष तक - अ.पि.व. (उक्त के संबंध में विधिक न्यायालय का आदेश आवश्यक है।)
जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी	जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे, को आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

3.2 अप्रैन्ट्रिसशिप एक्ट के अर्न्तगत कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षु को उपरी आयु में छूट निम्नवत होगी

श्रेणी	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग –नॉन क्रीमीलेयर	अनु.जाति/जन जाति
कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षु जो ऐसे पदो हेतु आवेदन कर रहे हो जिसकी न्यूनतम योग्यता आई.टी.आई / अप्रैन्ट्रिसशिप एक्ट के अर्न्तगत कोर्स पूर्ण किये हुए प्रशिक्षु	**33** वर्ष **+ प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)**	**36** वर्ष**+ प्रशिक्षण** अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)	**38** वर्ष**+ प्रशिक्षण** अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)
ऐसे **प्रशिक्षू जिन्होंने 25** वर्ष **की आयु** में अप्रैन्ट्रिसशिप एक्ट के अर्न्तगत कोर्स पूर्ण कर लिया हो	**35** वर्ष	**38** वर्ष	**40** वर्ष

4 **भर्ती प्रक्रियाः** सांस्कृतिक कोटा के अन्तर्गत योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा ।

(अ) **लिखित परीक्षाः** लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा : 50 अंक

(ब) **प्रतिभा का मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र में**

4-1.1	प्रायोगिक प्रदर्शन के आधार पर	:	35 अंक
4-1.2	व्यक्तिगत परीक्षा/पुरस्कार इत्यादि	:	15 अंक
	योग	:	**100 अंक**

नोटः **लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी।**

5 **भर्ती की शर्तें :**

5.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता हैं ।

5.2 नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

5.3 नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को किसी भी पद पर पदास्थापित करने से पहले, रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

5.4 जिन पदों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित है उन पदों पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी होगी ।

5.5 चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 02 वर्ष के अन्तर्गत टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि चयनित उम्मीदवार 02 वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसे अतिरिक्त समय नही दिया जाएगा और उक्त अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5.6 केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु अन्य पिछडी जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5.7 आवश्यकता पडने पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों/आयोजनों इत्यादि की व्यवस्था के लिए उपयोग मे लाया जायेगा और इसके साथ–साथ वे अपने पद के दायित्वों का भी निर्वहन जारी रखेंगे।

5.8 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार/आवश्यकतानुसार कहीं भी किसी भी पद पर नियुक्त किया जाएगा।

6 **सेवारत उम्मीदवार :–**

सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्धशासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उम्मीदवारो को अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण–पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

7 **परीक्षा शुल्क :–**

7.1 नीचे पैरा 7.2 मे दर्शाये गये उम्मीदवारो को छोड कर सभी उम्मीदवारो को रू0 500/–**शुल्क** देना होगा । लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू0 400/– वापसी किया जाएगा।

7.2 अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रू0 250/– **शुल्क** देना होगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू0 250/– वापसी किया जाएगा।

7.3 आर्थिक रुप से पिछड़े उम्मीदवार वे है जिनकी वार्षिक आय रु0 50000.00 से कम है। ऐसे उम्मीदवारो को आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट–C के प्रारूप पर अपलोड करना होगा।

7.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा (पैरा 7.2 मे दर्शाये गये उम्मीदवारो को छोड कर)। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा **शुल्क** के दायरे में आते हैं और परीक्षा **शुल्क** जमा न किया हो, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8 **आवेदन कैसे करें–**

8.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट https://www.rrcpryj.org पर भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा भरी गयी सारी सूचना सही है।

8.2 उम्मीदवार आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना, बायोडाटा एवं परीक्षा शुल्क आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से भरें।

नोट I:–उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सूचना अपने दिये गये मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार सही–सही भरें। दस्तावेज सत्यापन के समय भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला हो तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय गजेट नोटिफिकेशन या न्यायिक प्रपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना बदला हुआ नाम अंकित करेंगे तथा अन्य जानकारियां मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार दर्शायें।

नोट II :–अभ्यर्थी अपना ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंकित करे तथा इसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखें। उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण सूचना ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से समय–समय पर भेजी जाती रहेगी और माना जायेगा कि अभ्यर्थियों ने इसे पढ़ लिया है।

8.3 परीक्षा **शुल्क** रू. 500/– (पैरा 7.2 मे दर्शाये गये उम्मीदवारो को परीक्षा **शुल्क** रू. 250/–) ऑनलाइन माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करे (प्रोसेसिंग चार्ज अलग से) । परीक्षा **शुल्क** जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्त आवश्यक जानकारियां संबंधित कॉलम में सही–सही भरना होगा।

8.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

8.5 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

नोटः— फोटोग्राफ साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb बिना कैप/बिना काला/धूप का चश्मा के अपलोड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अस्पष्ट फोटो, पुरानी फोटो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर या आवेदन पत्र में अपलोड किया हुए फोटो एवं उम्मीदवार में भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी। उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ दो फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में चस्पा किया है एवं एक पहचान पत्र परीक्षा के समय साथ में लायें।

8.6 आनलाइन फॉर्म भरने के उपरान्त प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। कृपया उसे सम्भाल कर रखें इसी के माध्यम से आगे कोई भी सूचना का आदान प्रदान आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद के द्वारा किया जायेगा।

नोट I:—ऐसे आनलाइन आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कॉलम नहीं भरा गया हो, अपूर्ण हो, हस्ताक्षर न किया हो अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया गया हो, फोटो न अपलोड हो, परीक्षा शुल्क न जमा हो, उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट II :— यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तीकरण का कारण वेबसाइट पर देखा जा सकता है इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी। आनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई—मेल पर एस0एम0एस0 एवं ई—मेल एलर्ट भेज दिया जायेगा।

नोट III:—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा टेक्निकल खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।

नोट IV :—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी **रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ** की नहीं होगी।

नोट **IV** :— **उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु अल्प अवधि सूचना पर उपस्थित होना होगा। इस सम्बन्ध में सूचना ईमेल द्वारा और मोबाइल पर भेजी जाएगी जिसे उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा गया माना जाएगा।**

8.7 **आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा—**

8-7.1 आयु प्रमाण पत्र।

8-7.2 शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जैसा कि पैरा 2-1.1 में वर्णित है।

8-7.3 सांस्कृतिक योग्यता का प्रमाण पत्र जैसा कि पैरा 2-1.2 में वर्णित है।

8-7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जो निकटतम स्टेशन से लिखित परीक्षा/अभिक्षमता परीक्षा के समय परीक्षा के स्थान तक का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी के पास की व्यवस्था चाहते हों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र "परिशिष्ट – A" के प्रारूप पर अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन प्राप्त करते समय अथवा यात्रा करते समय रिजर्वेशन क्लर्क तथा टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

8-7.5 भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

8-7.6 सेवारत कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रति अपलोड करनी होगी।

नोटः— **उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।**

9 **अस्वीकृत आवेदन पत्रः—**

कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तीकरण का कारन वेबसाइट पर देखा जा सकता है एवं एस0एम0एस0 द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई—मेल पर भेज दिया जायेगा। जिसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी।

9.1 आवेदन पर हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।

9.2 आवेदन बिना कलर फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।

9.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.4 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित सांस्कृतिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.5 अधिक तथा अल्प आयु वाले उम्मीदवार, जन्मतिथि न भरा होना/गलत भरा होना।

9.6 उम्मीदवार का नाम निष्कासित सूची में होना।

9.7 परीक्षा शुल्क जमा न होने पर।

9-8 अधिसूचना की व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

9.9 इस रोजगार से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मामले केवल इलाहाबाद के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगें।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें – आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलावा उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वर्णित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रकिया के किसी भी चरण में/भर्ती के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

2. परीक्षा शुल्क –

a) पैरा 9.2 मे दर्शाये गये उम्मीदवारो को छोड कर सभी उम्मीदवारो को रू0 500/– शुल्क देना होगा ।

b) अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रू0 250/– शुल्क देना होगा।

3. **आवेदन कैसे करें–** पद के लिए अभ्यर्थी आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट (http://www.rrcpryj.org) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण दिशानिर्देश आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट पर दिये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश उपर पैरा 8 एवं 9 में वार्णित हैं।

4. **आवदेनः–** अंतिम तिथि को 23.59 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। **उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।**

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें। किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश

1. जिस अभ्यर्थी को आवेदन करना हो, वह आर0आर0सी0 की वेबसाइट पर जायें।
2. "ONLINE FORM" इस लिंक पर क्लिक करें।
3. "NEW REGISTRATION" इस लिंक पर क्लिक करें।
4. अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल पता तथा मोबाईल नम्बर दर्ज करें।
5. रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश को अपनायें और रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
6. रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करें और पद को चुनें।
7. पूछी गयी सूचनाओं को भरें जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
8. परीक्षा **शुल्क** ऑनलाइन के माध्यम (जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि) से जमा करें।
9. अभ्यर्थी अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
10. ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
11. वेबसाइड पर "UPLOAD" लिंक को क्लिक करें और रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करने के उपरांत फाइल/स्कैन फाइल को अपलोड करें।
12. 150 DPI तथा 50 KB से 150 KB तक, PDF format पर स्व हस्ताक्षरित आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
13. 150 DPI तथा 50 KB से 150 KB तक, PDF format पर स्व हस्ताक्षरित सांस्कृतिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
14. निःशुल्क यात्रा सुविधा (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) एवं अन्य देय छूट हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 50 KB से 150 KB तक, PDF format पर स्कैन करें।
15. भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 50 KB से 150 KB तक, PDF format पर स्कैन करें।
16. आवेदन Submit करें। अपने आवेदन की पावती प्रिंट कर लें।
17. **अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित करना चाहते हों तो अंतिम तारीख से पूर्व, Final Submit के तीन दिन बाद, जो पहले हो, अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं।**
18. ऑनलाइन जमा किया हुआ आवेदन संशोधित करने के लिए वेबसाइट की "ONLINE FORM" लिंक पर क्लिक करें।
19. "Modify Application" लिंक पर क्लिक करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ग्राम/कस्बा...जिला/संभाग..राज्य/संघ..अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति सूची (परिशोधन), 1956, मुम्बई रिऑर्गेनाइजशन एक्ट 1960, पंजाब रिऑर्गेनाइजशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गेनाइजशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा सशोधित।
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1956,
संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962,
संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1962
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदश 1964
संविधान (उत्तर प्रदेष) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1978
संविधान (जम्मू एवं कष्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (सशोधन) अधिनियम, 1996
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय सशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेष (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं।
यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी..के पिता/माता श्री/श्रीमती...................................... ....निवासी ग्राम/कस्बा...जिला/संभाग..प्रदेश/ संघ क्षेत्र............................ ....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.............................. जाति/जनजाति से संबंधित है जो.......................................राज्य/संघ क्षेत्र में...................................द्वारा जारी.................................दिनांक... ....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा.................................जिला/संभाग...............................राज्य/संघ क्षेत्र... ....में रहता है।

राज्य/संघ क्षेत्र
स्थानः...........................
दिनांकः...........................

हस्ताक्षर.............................
पदनाम..............................
(कार्यालय की मोहर)

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
कृपया राश्ट्रपति का विनिर्दिश्ट आदेश उद्धृत करें।
जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।
टिप्पणीः यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है।
अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूचीः–
(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिष्नर/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे न हो।
(4) क्षेत्र का सब–डिवीजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(6) प्रशासक/सचिव प्रशासक(लक्षदीप,मिनीकॉय और अमनदीव द्वीप)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछडी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री................ ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...जिला/मंडल... ग्राम/षहर...के निवासी हैं जो .... समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं षक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक ....के संकल्प संख्या .... के अंतर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्रापत हैं।' श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा उनका परिवार सामान्यतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकारए कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993'' के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93–स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं है।''

दिनांक

जिलाधिकरी/उपायुक्त इत्यादि
मुहर

''

' . प्रमाण–पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में ब्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

'' . समय–समय पर संषोधित।

टिप्पणीः– यहॉ प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।

परिशिष्ट – **C**

बोर्ड के पत्रांक सं0 ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा–3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रू 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम..
1. पिता/पति का नाम..
2. आयु...
3. घर का पता..
4. परिवार की वार्षिक आय..
   (शब्दों एवं अंकों में) ....
6. निर्गत तिथि..
7. हस्ताक्षर...

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

परिशिष्ट–D

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्र. पत्र सं0 .... तिथि : ....

अशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.................. आयु................ लिंग.................... पहचान के चिन्ह............... निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई अशक्तता से ग्रस्त हैं:–

क. प्रमस्तिष्कीय या गतिविषयक :

(i) बीएल–दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बाजू नहीं

(ii) बीए–दोनों बाजू प्रभावित — (क)इम्पेअर्ड रीच (ख)कमजोर पकड

(iii) ओएल–एक टांग प्रभावित (दाई या बाई) — (क)इम्पेअर्ड रीच (ख)कमजोर पकड (ग)एटाक्सिक

(iv) ओएच–एक बाजू प्रभावित — (क)इम्पेअर्ड रीच (ख)कमजोर पकड (ग)एटाक्सिक

(v) बीएच–स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ या झुक नहीं सकता)

(vi) एमडब्ल्यू–मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सक्षमता

ख. दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि :

(i) बी–दृष्टिहीन

(ii)पीबी–अर्द्ध दृष्टिहीन

ग. * श्रव्य विकलांगता :–

(i) डी–बहरा

(ii) पीडी–अर्द्ध बहरा

(जो लागू न हो उसे काट दें)

2. स्थिति प्रोग्रेसिव/नॉन–प्रोग्रेसिव/सुधार होने योग्य/सुधार न होने योग्य है, मामले के पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा नही की जाती है/............. वर्ष ....माह की अवधि के बाद अनुशंसा की जाती है :

3. उनके मामले में अशक्तता का .... प्रतिशत है :–

4. श्री/श्रीमती/कु0........................ उसकी ड्यूटियों के निष्पादन के लिये अपेक्षितनिम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं रखते है

(i) एफ–उंगलियों के साथ कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(ii) पीपी–धकेलकर तथा खींचकर कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(iii) एल–लिफटिंग से कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(iv) केसी–नीलिंग और काउचिंग से कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(v) बी–बेडिगं से कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(vi) एस–बैठकर कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(vii) एसटी–खड़े होकर कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(viii) डब्ल्यू–चलकर कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(ix) एसई–देखकर कार्य कर सकता है	हां/नही
(x) एच–सुनकर/बोलकर कार्य कर सकता है	हां/नहीं
(xi) आरडब्ल्यू–पढ़कर और लिखकर कार्य कर सकते है	हां/नहीं

(डा0........................)	(डा0........................)	(डा0........................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य

चिकित्सालय अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल
प्रमुख द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित (मुहर सहित)